



राज्य निर्वाचन आयोग,
बिहार
STATE ELECTION COMMISSION,
BIHAR

पत्रांक - पं.नि.30-110/2015 - 2114

प्रेषक,

दुर्गेश नन्दन, (बि.प्र.से.)

सचिव,

राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, पटना।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी-सह-

जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत)।

पंचायत आम निर्वाचन,

2016

अत्यावश्यक

पटना, दिनांक - 15.12.2015

विषय : पंचायत आम निर्वाचन, 2016 - मतदान केन्द्रों की स्थापना के संबंध में दिशा-निर्देश।

महाशय,

आप अवगत हैं कि त्रिस्तरीय पंचायतों का वर्तमान कार्यकाल जून 2016 में समाप्त हो रहा है तथा आम निर्वाचन अप्रैल-मई, 2016 में संभावित है। शान्तिपूर्ण एवं निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराने हेतु सुविधायुक्त मतदान केन्द्रों का चयन करना अत्यन्त आवश्यक है ताकि सभी कोटि के मतदाता निर्भय होकर अपनी पसंद के उम्मीदवार के लिए मतदान कर सकें।

2. बिहार पंचायत निर्वाचन नियमावली, 2006 के नियम 26 एवं 27 में मतदान केन्द्र की व्यवस्था से संबंधित प्रावधान किये गये हैं। उनका संगत अवतरण निम्नवत है :-

नियम 26 - "मतदान केन्द्र का चयन - जिला निर्वाचन पदाधिकारी प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र के लिये राज्य निर्वाचन आयोग के अनुमोदन से मतदान केन्द्र का चयन करेगा।"

नियम 27 - "मतदान केन्द्र की सूची का प्रकाशन - जिला निर्वाचन पदाधिकारी नियम 8 के उप-नियम (1) में विहित रीति से मतदान केन्द्रों की सूची प्रकाशित करेगा।"

परन्तु यह कि मतदान केन्द्रों की सूची के अन्तिम प्रकाशन के पूर्व सूची पर राज्य निर्वाचन आयोग का अनुमोदन अवश्य प्राप्त कर लिया जायेगा।

परन्तु यह भी कि राज्य निर्वाचन आयोग युक्तियुक्त कारणों से आवश्यक समझे जाने पर अन्तिम प्रकाशन के बाद भी, मतदान केन्द्रों की सूची में परिवर्तन करने का आदेश दे सकेगा। किसी भी परिस्थिति में आयोग द्वारा अनुमोदित सूची में जिला निर्वाचन पदाधिकारी, बिना आयोग की अनुमति के या आयोग के अनुमोदन की प्रत्याशा में, परिवर्तन नहीं कर सकेगा।

नियम 8 - "प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों की सूची का प्रकाशन - (1) जिला दंडाधिकारी द्वारा इस नियम के अध्यक्ष बनाने पर प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों की सूची प्रपत्र-1 में, ग्राम पंचायत एवं पंचायत समिति के मामले में संबंधित ग्राम पंचायत कार्यालय में एवं प्रखंड कार्यालय में तथा जिला परिषद के मामले में संबंधित प्रखंड कार्यालय, अनुमंडल दंडाधिकारी कार्यालय एवं जिला दंडाधिकारी कार्यालय में प्रकाशित की जायेगी।"

3. वर्ष 2011 में ग्राम पंचायत के प्रत्येक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के लिए एक-एक मतदान केन्द्र स्थापित किया गया था। पूर्व निर्वाचन की तुलना में वर्तमान में प्रत्येक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र में मतदाताओं की संख्या में 15-20 प्रतिशत वृद्धि संभावित है। चूंकि एक मतदाता छः पदों के लिए मतदान करेगा, अतः यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि एक मतदान केन्द्र से उतने ही मतदाताओं को संबद्ध किया जाये जो मतदान के लिए विहित समय (7.00 बजे पूर्वाह्न से 5.00 बजे अपराह्न तक) में बिना किसी कठिनाई के अपना मतदान कर सकें। इस आलोक में आयोग द्वारा निर्णय लिया गया है कि जिस प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र में मतदाताओं की संख्या 700 तक होगी वहाँ एक मतदान केन्द्र स्थापित किया जायेगा; किन्तु मतदाताओं की संख्या 701 से 1000 के बीच रहने पर यथा संभव उसी भवन में एक अतिरिक्त/सहायक मतदान केन्द्र स्थापित किया जायेगा। जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत) स्वयं संतुष्ट होने के पश्चात ही सहायक मतदान केन्द्र की स्थापना का निर्णय लेंगे। सामान्यता किसी प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र में मतदाताओं की संख्या 1000 से अधिक होने की संभावना नहीं है किन्तु ऐसी स्थिति उत्पन्न होने पर जिला निर्वाचन पदाधिकारी राज्य निर्वाचन आयोग से विशिष्ट आदेश प्राप्त कर ही आवश्यक संख्या में अतिरिक्त/सहायक मतदान केन्द्र स्थापित कर सकेंगे। मतदान केन्द्र में अतिरिक्त कमरा/जगह उपलब्ध नहीं रहने की स्थिति में उसी प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र में अवस्थित अन्य सरकारी/सार्वजनिक भवन में अतिरिक्त मतदान केन्द्र स्थापित किया जा सकता है।

4. उपर्युक्त के अलावा मतदान केन्द्रों के चयन/स्थापना से संबंधित निम्नांकित दिशा निर्देश पुनः दिये जा रहे हैं, जिनका दृढ़तापूर्वक पालन किया जाये -

(1) मतदान केन्द्रों के लिए स्थल का चयन करते समय यह ध्यान में रखा जाए कि ग्राम पंचायत के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र में सरकारी/अर्द्धसरकारी/सार्वजनिक भवन उपलब्ध रहने की स्थिति में उसी प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र में मतदान केन्द्रों की स्थापना की जाय। अगर भवन उपलब्ध नहीं है तो सरकारी भूमि पर विकल्प के रूप में चलन्त मतदान केन्द्र की स्थापना की जा सकती है। यदि किसी प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र में मतदान केन्द्र की स्थापना किसी कारण से विल्कुल ही सम्भव नहीं हो तब ऐसी स्थिति में उससे सटे हुए उसी ग्राम पंचायत की परिसीमा के अन्दर दूसरे प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र में भी मतदान केन्द्र बनाए जा सकते हैं, लेकिन किसी भी परिस्थिति में ग्राम पंचायत क्षेत्र के बाहर दूसरे ग्राम पंचायत में मतदान केन्द्र नहीं बनाए जाएंगे।

(2) मतदान केन्द्रों के लिए यह भी देखना आवश्यक है कि उक्त प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र में विधान सभा निर्वाचन के निमित्त बनाए गए कोई मतदान केन्द्र है अथवा नहीं। जिस भवन में वह मतदान केन्द्र बनाया गया था, उसे इस निर्वाचन के लिए भी मतदान केन्द्र बनाया जाय। यदि उस प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र में कोई भवन उपलब्ध नहीं है तो उसे निकट के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र में उपलब्ध भवन में, जैसा ऊपर में बतलाया गया है, मतदान केन्द्र स्थापित किया जा सकता है। विधान सभा निर्वाचन के लिए स्थापित मतदान केन्द्रों के भवन में यदि अतिरिक्त निर्मित भाग उपलब्ध हो तो उस भवन में जितने मतदान केन्द्र बनाए गए थे, उसके अतिरिक्त भी मतदान केन्द्र बनाए जा सकते हैं।

(3) (क) मतदान केन्द्रों की स्थापना करते समय यह सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है कि किसी भी मतदाता को मतदान केन्द्र पर पहुँचने के लिए दो किलोमीटर से अधिक की दूरी तय नहीं करनी पड़े। दूर-दूर पर बसे हुए, पहाड़ी और वन क्षेत्र में इस नियम को शिथिल करना पड़ सकता है, तथा मतदाताओं को अनावश्यक रूप से अधिक दूर तक न चलना पड़े, इस उद्देश्य से ऐसे मामलों में मतदाताओं की निर्धारित संख्या से अपेक्षाकृत कम संख्या के मतदाताओं के लिए भी मतदान केन्द्र स्थापित किए जा सकते हैं। इस संबंध में उपलब्ध स्थिति के अनुसार व्यावहारिक दृष्टिकोण से मतदाताओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत) अपने विवेकानुसार कार्यवाई करेंगे।

(ख) एक मतदान केन्द्र के लिए सामान्यतः तीस वर्ग मीटर क्षेत्रफल का स्थान होना चाहिए ताकि मतदाता को पंक्तिबद्ध होकर मतदान करने में कोई असुविधा नहीं हो। जहाँ तक संभव हो, मतदान केन्द्र में प्रवेश एवं निकास के लिए अलग अलग व्यवस्था की जायगी। हॉल/कमरों में एकमात्र दरवाजा होने की स्थिति में कृत्रिम तरीके से अलग-अलग प्रवेश एवं निकास की व्यवस्था हो सकती है। इसी प्रकार एक ही हॉल के लिए पुरुष एवं महिला मतदाता होने की स्थिति में ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए ताकि पुरुष एवं महिला मतदाता अलग-अलग पंक्ति में रहकर अलग-अलग प्रवेश एवं निकास के माध्यम से अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें या बारी-बारी से पुरुष/महिला मताधिकार का प्रयोग कर सकें।

(ग) जहाँ तक संभव हो मतदान केन्द्रों की स्थापना सरकारी/अर्द्धसरकारी भवनों (जिसमें स्कूल, कॉलेज, पंचायत भवन आदि शामिल हैं) में की जायगी। निजी भवनों या परिसर में मतदान केन्द्र स्थापित नहीं किया जायगा। जिन स्थानों पर सरकारी/अर्द्धसरकारी भवन उपलब्ध नहीं हों, वहाँ पर यथासंभव उस प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र अथवा पंचायत क्षेत्र में उपलब्ध सरकारी जमीन (खाता खेसरा अंकित रहेगा) पर चलन्त मतदान केन्द्रों की स्थापना की जाए। एक ग्राम पंचायत क्षेत्र में दो से अधिक चलन्त मतदान केन्द्र नहीं बनाये जायें। विशेष परिस्थिति में दो से अधिक चलन्त मतदान केन्द्र बनाना अपरिहार्य हो, तो आयोग से इसकी पूर्वानुमति अवश्य प्राप्त कर ली जाये।

(घ) कोई भी मतदान केन्द्र पुलिस थाना, अस्पताल/डिस्पेन्सरी, मंदिरों या धार्मिक महत्व के स्थानों में नहीं स्थापित किया जायगा। साथ ही वर्तमान मुखिया के घर के 100 मीटर के अन्दर मतदान केन्द्र स्थापित नहीं किया जाएगा।

(ङ) अनुसूचित जाति/जनजाति तथा समाज के कमजोर वर्ग के मतदाताओं के लिए ऐसे स्थान पर मतदान केन्द्र की स्थापना की जाए जहाँ इन वर्गों के मतदाता निर्भय होकर मतदान कर सकें। कहने का तात्पर्य यह है कि मतदान केन्द्र ऐसी जगह पर हो जहाँ कमजोर वर्ग के लोग आम दिनों में भी बिना भय के जाते रहते हों। स्वार्थी तथा प्रभावशाली तत्वों द्वारा आपको भ्रमित करने का प्रयास किया जा सकता है कि अमुक विद्यालय में कमजोर वर्ग के विद्यार्थी भी आते हैं इसलिए संबंधित कमजोर वर्ग के मतदाता भी उक्त विद्यालय भवन में स्थापित मतदान केन्द्र पर आसानी से निर्भय होकर मतदान कर सकते हैं। इस संबंध में ध्यान रखा जायगा कि एक विशेष उद्देश्य के लिये, जैसे विद्यार्थी के रूप में विद्यालय जाने या किसी विशेष उपलक्ष्य में किसी आम स्थल विशेष पर जाने में कोई रूकावट नहीं हो सकती है, पर उक्त स्थान पर स्थापित मतदान केन्द्र पर अपने मताधिकार का प्रयोग करने हेतु यह कोई जरूरी नहीं कि कमजोर वर्ग के मतदाता निर्भय होकर जा सकें। इस विन्दू को ध्यान में रखकर आप कमजोर वर्ग के मतदाताओं के लिए मतदान केन्द्र की स्थापना करेंगे। आवश्यकता पड़ने पर इन वर्गों के मतदाताओं के लिए चलन्त मतदान केन्द्र की स्थापना की जायगी।

(च) एक भवन में अधिक से अधिक 4 (चार) मतदान केन्द्र स्थापित किए जा सकते हैं। परन्तु यह प्रयास रहे कि प्रत्येक वार्ड में कम-से-कम एक मतदान केन्द्र स्थापित हो।

(छ) मतदान केन्द्र का निर्धारण एवं संख्यांकन - मतदान केन्द्रों की संख्या पूरे प्रखंड में क्रमिक संख्यावार अंकित की जायेगी। एक प्रखंड समाप्त होने के बाद नये सिरे से दूसरे प्रखंड की क्रमिक संख्या शुरू की जायेगी। किसी प्रखंड विशेष के लिए जिस क्रम से नियमावली के नियम 7(1) के अधीन ग्राम पंचायतों का संख्यांकन किया गया है उसी क्रम में मतदान केन्द्रों के लिए ग्राम पंचायतों को लेते हुए मतदान केन्द्रों की संख्यांकन किया जायेगा।

(4) मतदान केन्द्रों की सूची का प्रकाशन - नियम 27 के प्रावधान के अनुसार नियम 8 के उप नियम

(1) में विहित रीति से मतदान केन्द्र की सूची आयोग द्वारा संसूचित कार्यक्रम (संलग्न) के अनुसार निर्धारित तिथि को प्रकाशित की जायगी अर्थात् मतदान केन्द्र की सूची संलग्न प्रपत्र - 1 में ग्राम पंचायत एवं पंचायत समिति के मामले से सम्बन्धित ग्राम पंचायत कार्यालय में एवं प्रखंड कार्यालय में तथा जिला परिषद् के मामले में सम्बन्धित प्रखंड कार्यालय, अनुमंडल दण्डाधिकारी कार्यालय एवं जिला दण्डाधिकारी कार्यालय में प्रकाशित की जायगी।

(क) प्रारूप प्रकाशन की अवधि - उपर्युक्त विधि से प्रकाशित प्रारूप मतदान केन्द्रों की सूची दस दिनों तक प्रकाशन में रहेगी तथा इस अवधि में मतदान केन्द्रों में संशोधन हेतु दावे एवं आपत्तियों को प्राप्त की जायेगी। आपत्ति पत्र आपके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी के समक्ष दाखिल किया जायगा। आपत्ति प्राप्त करने के लिए कार्यालय अवधि में कर्मचारी की उपस्थिति सुनिश्चित किया जाय और आपत्तिकर्ता को प्राप्ति रसीद अवश्य दिया जाय।

(ख) प्रारूप-प्रकाशन का व्यापक प्रचार - प्रारूप प्रकाशन के व्यापक प्रचार की व्यवस्था की जाय। जिन स्थानों पर सप्ताहिक हाट-बाजार लगते हों वहाँ ढोल पीटकर निम्नांकित सूचनाओं का प्रचार कराया जाय :-

(i) प्रकाशन की तिथि -

(ii) स्थानों का नाम जहाँ निरीक्षण हेतु मतदान केन्द्र सूची रखी गयी है -

(iii) आपत्ति देने की अंतिम तिथि -

(iv) जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत) द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी का ब्योरा (नाम, पदनाम, कार्यालय) जिनके पास आपत्तियाँ दी जा सकेंगी।

(ग) प्रारूप प्रकाशन अवधि में दिये गये आपत्तियों का निष्पादन :- प्राप्त आपत्तियों का निष्पादन आपके द्वारा प्राधिकृत सक्षम एवं वरीय पदाधिकारी से कराया जाय। प्रखंड विकास पदाधिकारी/अंचल अधिकारी से न्यून स्तर के पदाधिकारी को इस कार्य हेतु प्राधिकृत नहीं किया जाय। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराने हेतु मतदान केन्द्रों की स्थापना की आवश्यकता को दृष्टि में रखते हुए छोटी से छोटी शिकायतों का भी निष्पादन तत्परतापूर्वक एवं पूर्ण रूप से किया जाय। शिकायतों की जाँच अनुमंडल पदाधिकारी/भूमि सुधार उप समाहर्ता/समकक्ष स्तर के पदाधिकारी अथवा अन्य वरीय पदाधिकारियों से करायी जाये।

(घ) आपत्तियों के निष्पादन के बाद संशोधित सूची की तैयारी - आपत्तियों के निष्पादन के बाद स्वीकृत मामलों के अनुसार प्रारूप सूची में यथा आवश्यक संशोधन करा लिया जाय।

(5) राज्य निर्वाचन आयोग का अनुमोदन एवं मतदान केन्द्रों की सूची का अंतिम प्रकाशन - ऊपर दिये गये निदेशों के अनुसार मतदान केन्द्रों का चयन कर राज्य निर्वाचन आयोग का अनुमोदन प्राप्त करने हेतु संलग्न प्रपत्र-2 में मतदान केन्द्रों की सूची संलग्न कार्यक्रम के अनुसार किसी प्राधिकृत पदाधिकारी के माध्यम से आयोग को भेजा जाय, जो आयोग में प्राप्त आपत्तियों का निराकरण करने में समर्थ हों। मतदान केन्द्रों के गठन के विरुद्ध अनेकों परिवाद आयोग कार्यालय को प्राप्त होते हैं जिसे जिला पदाधिकारियों को जाँच हेतु प्रेषित किया जाता है, परन्तु आयोग कार्यालय को जाँच प्रतिवेदन अप्राप्त रहने की स्थिति में मतदान केन्द्र के अनुमोदन के समय तक प्राप्त सभी परिवाद पत्र का निष्पादन/निस्तारण हो जाना आवश्यक होगा, जिसे प्राधिकृत पदाधिकारी द्वारा तत्समय किया जा सकेगा। अच्छा होगा इस कार्य के लिए उसी पदाधिकारी को प्राधिकृत करते हुए प्रतिनियुक्त किया जाय जिन्होंने मतदान केन्द्रों के गठन हेतु प्रस्ताव तैयार किया है ताकि वे मतदान केन्द्रों के अनुमोदन में समुचित सहयोग प्रदान कर सकें। राज्य निर्वाचन आयोग का अनुमोदन प्राप्त करने से संबंधित जिलावार कार्यक्रम संलग्न है। मतदान केन्द्रों का अनुमोदन प्रस्ताव के साथ संलग्न प्रपत्र - 3 में मतदान केन्द्रों के संबंध में विवरण भी भेजेगे जिसमें प्रखंडवार चलित मतदान केन्द्रों की कुल संख्या के साथ-ही-साथ दो, तीन एवं चार मतदान केन्द्रों वाले भवनों की संख्या भी अंकित होगी। राज्य निर्वाचन आयोग का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात्

मतदान केन्द्रों की सूची का अंतिम प्रकाशन निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार किया जायगा तथा आवश्यक संख्या में सूची की प्रतियों का मुद्रण किया जायगा।

पुनः स्पष्ट किया जाता है कि मतदान केन्द्रों की सूची के अन्तिम प्रकाशन के पूर्व सूची पर आयोग का अनुमोदन निश्चित रूप से प्राप्त कर लिया जाये। आयोग से बिना अनुमोदन प्राप्त किये अन्तिम रूप से प्रकाशित मतदान केन्द्रों की मान्यता आयोग द्वारा नहीं दी जायेगी तथा निदेश की अवहेलना की स्थिति में दोषी/उत्तरदायी पदाधिकारियों के विरुद्ध समुचित कार्रवाई की जायेगी।

6. मतदान केन्द्रों की स्थापना तथा उसकी सूची को अंतिम रूप देने हेतु पंचायत अधिनियम/नियमावली में किसी स्तर पर सुझाव या परामर्श का प्रावधान नहीं है। राज्य निर्वाचन आयोग का यह दृढ़ संकल्प है कि पंचायत निकायों का निर्वाचन सही एवं शान्तिपूर्ण ढंग से हो। अतः जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत) यह सुनिश्चित करेंगे कि मतदान केन्द्रों का चयन इस प्रकार हो कि आम जनता सम्बन्धित मतदान केन्द्रों में जाकर निर्भय एवं निष्पक्ष रूप से अपना मत दे सकें। इस उद्देश्य से यदि आवश्यक हो तो जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत) अपने विवेक के अनुसार जिला स्तर पर, अनुमंडल स्तर पर, प्रखंड स्तर पर तथा ग्राम स्तर पर इस विषय में दिलचस्पी रखने वाले व्यक्तियों से परामर्श करने की व्यवस्था करें ताकि मतदान केन्द्रों की सूची को अंतिम रूप देने के पूर्व वे संतुष्ट हो जायें कि मतदान केन्द्रों के स्थल का चयन शान्तिपूर्ण ढंग से चुनाव सम्पन्न कराने में कारगर/मददगार सिद्ध हो। दिलचस्पी रखने वाले व्यक्तियों का चयन करते समय जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत) यह सुनिश्चित करेंगे कि ऐसे व्यक्ति जनता के सभी वर्गों का सही प्रतिनिधित्व करते हों तथा किसी स्वार्थी गुट से सम्बन्धित न हों।


आयोग का निर्णय है कि मतदान केन्द्रों के प्रारूप प्रकाशन एवं अन्तिम प्रकाशन को आयोग के वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जायेगा। अतः मतदान केन्द्रों के प्रारूप प्रकाशन की सी.डी. एवं अन्तिम प्रकाशन की सी.डी. (MS Office Excel & Unicode Font) में आयोग को उपलब्ध करायी जायेगी ताकि आयोग के वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जा सके।

7. मतदान केन्द्रों की सूची की बिक्री :- मतदान केन्द्रों की सूची की बिक्री उसी दर पर की जायेगी जिस दर पर मतदाता सूची की बिक्री की जाती है।

अनुरोध है कि उपर्युक्त निदेशों के अनुसार आवश्यक कार्रवाई की जाए।

अनुलग्नक : यथोक्त।

विश्वासभाजन,


सचिव।

ज्ञापांक - प.नि. 30-110/2015-2114

पटना, दिनांक - 15.12.2015


प्रतिलिपि, प्रधान सचिव, पंचायती राज विभाग बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


सचिव।

ज्ञापांक - प.नि. 30-110/2015-2114

पटना, दिनांक - 15.12.2015

प्रतिलिपि, सभी प्रमण्डलीय आयुक्तों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


सचिव।

मतदान केन्द्रों की सूची की तैयारी से संबंधित कार्यक्रम

1. मतदान केन्द्रों की सूची का प्रारूप प्रकाशन
एवं दावे तथा आपत्तियों की प्राप्ति 27.01.2016 से 05.02.2016
2. आपत्तियों का निष्पादन- 27.01.2016 से 08.02.2016
3. मतदान केन्द्रों की सूची पर आयोग का अनुमोदन- 09.02.2016 से 20.02.2016
4. आयोग द्वारा अनुमोदित मतदान केन्द्रों की सूची
का अंतिम प्रकाशन- 22.02.2016
5. मतदान केन्द्रों की सूची का मुद्रण- 24.02.2016

प्रपत्र - 1
मतदान केन्द्रों की सूची

जिला प्रखंड ग्राम पंचायत -

मतदान केन्द्र संख्या	मतदान केन्द्र का नाम एवं स्थल	मतदान केन्द्र का विस्तार (प्रा. नि. क्षेत्र संख्या)	मतदाता सूची के आधार पर कुल मतदाताओं की संख्या (क्र. से तक)	अभियुक्ति
1	2	3	4	5

जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत)

प्रपत्र-2

आयोग के अनुमोदन हेतु भेजी जाने वाली सूची

जिला प्रखंड ग्राम पंचायत -

मतदान केन्द्र संख्या	मतदान केन्द्र का नाम एवं स्थल	मतदान केन्द्र का विस्तार (प्रा. नि. क्षेत्र संख्या)	मतदाता सूची के आधार पर कुल मतदाताओं की संख्या (क्र. से तक)	भवन सरकारी/ अर्द्ध सरकारी है अथवा नहीं
1	2	3	4	5

भवन में कुल कमरों की संख्या	मतदान केन्द्र तक पहुँचने के लिए मतदाता द्वारा तय की जाने वाली अधिकतम दूरी	प्रवेश एवं निकास की अलग-अलग व्यवस्था है अथवा नहीं	मतदान केन्द्र पर पहुँचने एवं मत देने हेतु कमजोर वर्ग के लोग निर्भय होकर आ-जा सकते हैं अथवा नहीं	अभियुक्ति
6	7	8	9	10

प्रमाणित किया जाता है कि मतदान केन्द्रों का चयन आयोग के दिशा निर्देशों के आलोक में किया गया है। सभी मतदान केन्द्र पंचायत क्षेत्र में अवस्थित हैं तथा कोई मतदान केन्द्र निजी अथवा धार्मिक स्थल पर स्थापित नहीं किया गया है। चलित मतदान केन्द्र की स्थापना उक्त क्षेत्र में सरकारी/अर्द्धसरकारी भवन उपलब्ध नहीं रहने पर ही की गई है।

जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत)

प्रपत्र - 3

मतदान केन्द्रों से संबंधित प्रखंडवार सूचना

जिला

क्रम संख्या	प्रखंड का नाम	कुल ग्राम पंचायत प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या	चलन्त मतदान केन्द्रों की संख्या	एक मतदान केन्द्र वाले भवनों की संख्या	दो मतदान केन्द्रों वाले भवनों की संख्या
1	2	3	4	5	6

तीन मतदान केन्द्रों वाले भवनों की संख्या	चार मतदान केन्द्रों वाले भवनों की संख्या	अभियुक्ति
7	8	9